

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र— सोडावास

पीठासीन अधिकारी — महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा
57 / 18

रजू दिनांक
06.03.2018

निर्णय दिनांक
16.05.2018

अनुवान

1. रामचन्द्र पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर
:-वादी

बनाम

1. सूरजभान पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:-प्रतिवादी

दावा— हु० ई० दवामी

--:पर्चा डिक्री:--

दिनांक:— 16.05.2018


वादी की ओर से श्री गंगाराम पटेल वकील व प्रतिवादी की ओर से श्री हंसराज यादव वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.05.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

आराजी ख०न० 251/3 के बाबत प्रतिवादी को एवं ख०न० 251/2 के बाबत वादी को हु०ई०दवामी से सदैव—सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे उक्तानुसार ही एक दूसरे के खसरे रकबे आराजी में प्रवेश न करें, ना ही कोई निर्माण कार्य करें, ना ही

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०


एक-दूसरे के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा ही डालें। पाबंद रहें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


16.05.18
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर)

एक-दूसरे के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा ही डालें। पाबंद रहें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


16.05.18
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)